भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *121

(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-IV के अंतर्गत

संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ी बस्तियां

***121. डॉ. राजेश मिश्रा:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-IV के अंतर्गत संपर्क मार्ग से जोड़ी जाने वाली बस्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत इस संबंध में कुल कितना बजट आबंटित किया गया है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में चिह्नित की गई बस्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु प्राप्त, सर्वेक्षण किए गए और स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है;

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत पुरानी और जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए अपनाई गई नीति क्या है; और

(च) क्या ठेकेदारों के लिए उक्त योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का पांच वर्ष की अवधि के लिए रखरखाव करना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-IV के अंतर्गत संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ी बसावटों" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 28.07.2026 को डॉ. राजेश मिश्रा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 121 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई- IV) को वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 70,125 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से देश भर में 25,000 पात्र संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता (62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण) प्रदान करने के लक्ष्य के साथ मंजूरी दी है। पीएमजीएसवाई- IV के तहत कोई राज्य-वार लक्ष्य नहीं है। जनगणना 2011 के जनसंख्या मानदंडों के आधार पर पीएमजीएसवाई- IV के तहत संपर्कता प्रदान की जाने वाली बसावटों के पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

I. मैदानी क्षेत्रों में 500 और उससे अधिक की आबादी वाली बसावटें।
II. विशेष श्रेणी के राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड) विशेष श्रेणी के क्षेत्र [जनजातीय अनुसूची-V क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, आकांक्षी ब्लॉक/जिले और संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र (25% से अधिक क्रॉस ढलान और ऊंचाई औसत समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक)] में 250 और उससे अधिक की आबादी वाली बसावटें, तथा
III. गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर चिह्नित पुराने एवं संवेदनशील जिलों सहित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 100 और उससे अधिक की आबादी वाली बसावटें।

(ग)और(घ): ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य के सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर जीआईएस मैपिंग टूल "ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप" का उपयोग करके पीएमजीएसवाई-IV के तहत राज्य द्वारा कुल 994 बसावटों की पहचान/सर्वेक्षण किया गया है और उनमें से 968 बसावटों को राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा सत्यापित किया गया है।

सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अब तक 42.95 करोड़ रुपये की लागत वाली 64.90 किलोमीटर की 31 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन्हें मध्य प्रदेश राज्य के अन्य प्रस्तावों के साथ दिनांक 15.05.2026 को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ङ): "ग्रामीण सड़कें" राज्य का विषय है। पीएमजीएसवाई एक बारगी विशेष कार्यकलाप है जिसमें मौजूदा रणनीतिक ग्रामीण लिंक को उन्नत करने और सड़कों के निर्माण के माध्यम से नई

संपर्कता प्रदान की जाती है। पुरानी, क्षतिग्रस्त या जर्जर सड़कों के लिए नीतिगत ढांचा इस प्रकार है:

- **दोष देयता अवधि पश्चात:** मूल स्वीकृत प्रस्ताव में किए गए प्रारंभिक 5-वर्षीय दोष देयता अवधि (डीएलपी) के बाद, पीएमजीएसवाई सड़कों का नियमित रखरखाव और समय-समय पर नवीनीकरण संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) राज्यों के लिए पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत सड़कों को न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए रख रखाव करना अनिवार्य बनाता है।
- **पीएमजीएसवाई-II और III के तहत उन्नयन:** बसावटों को पीएमजीएसवाई-II के तहत ग्रामीण विकास केंद्रों से तथा पीएमजीएसवाई-III के तहत ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अस्पतालों को जोड़ने वाले मौजूदा जर्जर थ्रू रुटों और प्रमुख ग्रामीण लिंकों को व्यापक उन्नयन प्राथमिकता सूची (सीयूपीएल) के आधार पर उन्नयन किया गया। राज्यों में क्रमशः पीएमजीएसवाई- II और III के तहत कुल 49,778 किमी और 1,22,038 किमी सड़क की लंबाई स्वीकृत की गई थी, जिनमें से 49,130 किमी और 1,08,954 किमी दिनांक 22.07.2026 तक पूरी हो चुकी हैं।
- **पीएमजीएसवाई रखरखाव नीति:** राज्यों को ग्रामीण सड़क रखरखाव नीतियां तैयार करने, मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने और राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) द्वारा प्रबंधित एक अलग खाते में पर्याप्त रखरखाव निधि का प्रावधान करने की आवश्यकता है।

(च): पीएमजीएसवाई मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के तहत, जो ठेकेदार सड़क का निर्माण या उन्नयन करते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से निर्माण के बाद **5 साल की दोष देयता अवधि (डीएलपी)** के लिए सड़क का रखरखाव करना होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. **एकीकृत अनुबंध:** निर्माण और 5-वर्षीय नियमित रखरखाव अनुबंध एक ही ठेकेदार को एक साथ दिए जाते हैं।

ii. **ई-मार्ग के माध्यम से प्रदर्शन आधारित निगरानी:** डीएलपी के दौरान नियमित रखरखाव भुगतान को पीएमजीएसवाई सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ई-मार्ग) वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संसाधित किया जाता है, जहां क्षेत्र इंजीनियर द्वैमासिक निरीक्षण करते हैं और भुगतान को प्रमाणित करने से पहले जियो-टैग की गई तस्वीरें अपलोड करते हैं।

iii. **दोष सुधार:** यदि 5-वर्षीय दोष देयता अवधि के दौरान, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू), राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एसक्यूएम), या राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) द्वारा निरीक्षण में दोष या असंतोषजनक स्थितियां पाई जाती हैं, तो

ठेकेदार अपने खर्च पर उन्हें सुधारने के लिए संविदात्मक रूप से बाध्य है। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादन जमा राशि जब्त हो जाती है और काली सूची में डाल दिया जाता है।
